संख्याः ई0डी0एन0–बी–एफ(10)7/2014
हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग ।

प्रेषक :

अति. मुख्य सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित :

निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171001.

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171001.

दिनांक शिमला–171002, 14–9–2015.

विषयः– सरकारी निदेशों और अधिसूचनाओं को प्रेषित करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको अवर सचिव (प्रशासनिक सुधार) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र स0. पर (ए आर)एफ (1).1–2009 दिंनाक 07/08/2015 की छाया प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप मामले पर आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करे।

P. A. Cell
DHE..........
15 SEP 2015
Branch

भवदीय,

अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Sh. G.M. Sharma to note and compliance in future
17/9

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि॰प्र॰
29 OCT 2015
शिमला

शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश, शिमला

पृष्ठांकन सख्ंयाः ई0 डी0एन0(1)बी(15)1/2009–दिंनाक 29.10.2015
सुचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 आपके पत्र संख्याःई0डी0एन0–बी–एफ(10)7/2014 दिनांक 14.09.2015 के संदर्भ में।
2 उपायुक्त किन्नौर/चम्बा/उपमण्डल दण्डाधिकारी केलांग/पांगी भरमौर/काजा व डोडरा–क्वार हिमाचल प्रदेश ।
3 अति0 शिक्षा निदेशक(प्र0)/कालेज/स्कूल शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
4 संयुक्त शिक्षा निदेशक का0–I / का0–II. शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
5 संयुकत नियंत्रक (वि0 एवं लेखा). शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
6 उप निदेशक (उच्च)/ सहायक शिक्षा निदेशालय (उच्च) शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0 प्र0।
7 समस्त प्राचार्य रा0 महा0 विद्यालय हि0प्र0 ।
8 समस्त उप निदेशक. हि0प्र0 अग्रिम कार्यवाही हेतू ।
9 समस्त प्रधानाचार्य रा0व0मा0पा0/ मुख्याध्याक रा0उ0 पा0 हि0प्र0।
10 निजी सचिव. शिक्षा निदेशालय (उच्च) हि0प्र0।
11 तकनीकी अधिकारी शिक्षा निदेशालय (उच्च) वेब साईट अप–डेट करने हेतू।
12 समस्त अधिक्षक शिक्षा निदेशालय (उच्च) हि0प्र0।
13 रक्षक नस्ति ।

शिक्षा निदेशक (उच्च)
हिमाचल प्रदेश

संख्या पर (ए आर) एफ (1)–1/2000
हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

5333394|- Edu-B
13-8-15

प्रेषक

सचिव (प्रा0 सु0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(64)

प्रेषित

समस्त प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार

दिनांक शिमला –2 7 अगस्त,2015

विषयः– सरकारी निर्देशों और अधिसूचनाओं को प्रेषित करने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली (Single line Admn.) वर्ष 1986 से लागू है जिसके फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों को विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त हैं। पांगी मे आवासीय आयुक्त की नियुक्ति की जाती है जोकि उक्त प्रणाली के फलस्वरूप स्वयं विभागाध्यक्ष हैं ।

अतः आप से अनुरोध है कि भविष्य में जो भी सरकारी दिशा–निर्देश एवं अधिसूचनाएं समय–समय पर सरकार द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को प्रेषित की जाती है, उसकी प्रतिलिपि जन जातीय क्षेत्रों में कार्यरत आवासीय आयुक्त / जिलाधीशों /जिला दण्डाधिकारी को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय

(रणजीत सिंह)
अवर सचिव (प्रशासनिक सुधार)
हिमाचल प्रदेश सरकार
फोन नं0 0177–2628481

पत्र सं0: उपरोक्त दिनांक शिमला–171002 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि

1. संयुक्त सचिव(कार्मिक)हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके पत्र संख्याः पर(एपी–बी) बी(19) 34/2007 दिनांक 10 जुलाई, 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत है ।
2. उप सचिव(जनजातीय) हि0प्र0 सरकार को उनके पत्र संख्या टीवीडीए 4–1/2014–1 दिनांक 10 जून, 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत है।

अवर सचिव (प्रशासनिक सुधार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

11/8
AS Edu

11/8/15
11/8/2015
Sh B3